आर्थिक विकास का एक खास पहलू

ग्रामीण लघु उद्योग क्षेत्र में सरकारी प्रयासों की कथनी-करनी : एक नजर

सुब्रतो दत्ता
दिप्ती खैराड़ा

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

आर्थिक विकास का एक खास पहलू

ग्रामीण लघु उद्योग क्षेत्र में सरकारी प्रयासों की कथनी-करनी : एक नजर

सुब्रतो दत्ता
दिप्ती खैराड़ा

Budget Analysis Rajasthan Centre (BARC)
बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur - 302 005
Tel. / Fax : (0141) 238-5254
E-mail : info@barcjaipur.org
Website : www.barcjaipur.org

ठ बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रथम संस्करण : अप्रेल, 2008

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

मुद्रक : कल्पना ऑफसेट,
सांगानेर, जयपुर मो. 98ड्ड8150395

अनुक्रम

1.	लघु उद्योग-एक परिचय	5
2.	जिला उद्योग केन्द्र	8
3.	सहायता	12
4.	हाथ करघा उद्योग व हस्तशिल्प उद्योग	14
	1. प्रशिक्षण	14
	2. सहायता	14
	3. योजनाऐं	16
5.	खादी ग्रामोद्योग	21
	1. प्रशिक्षण	22
	2. सहायता	22
	3. योजनाऐं	23
	4. अन्य	25
6.	रूडा	26
	1. प्रशिक्षण	27
	2. सहायता	30
	3. योजनाऐं	32

लघु उद्योग-एक परिचय

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का बहुत महत्व है। वर्तमान में लघु उद्योगों के विकास की गति धीमी होती जा रही है। देखा जाए तो राज्य में आज भी बहुत से परिवार जीवन यापन के लिए लघु उद्योगों पर निर्भर हैं। भारत जैसे जनाधिक्य वाले देश में लघु उद्योग आमदनी का एक अच्छा विकल्प हैं। जबकि यह पता चल चुका है कि कृषि क्षेत्र की अपनी कुछ सीमाऐं हैं। जिनकी वजह से इस क्षेत्र मे उत्पादन एवं आय दोनो ही एक स्तर से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग विकल्प रूप मे आय का एक अच्छा स्त्रोत साबित हो सकते है।

सरकार के द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए विविध योजनाऐं बनाई जा रही हैं तथा कार्यदक्षता के लिऐ प्रशिक्षण केन्द्र खोले गऐ हैं। सरकारी प्रयासों पर गौर किया जाए तो देखने मे आता है कि सरकार योजनाऐं तो बना रही है परन्तु क्या सरकार को यह पता है कि लघु उद्योगों के विकास के लिऐ किस तरह से कदम उठाया जाए जिससे सत्त विकास के साथ उद्योगकर्मीयो के आय के स्तर में वृद्धि की जा सके ? लघु उद्यमीयों एवं उद्योगकर्मीयो – दोनो के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि इन क्षेत्रो से जुड़े हुए व्यक्तियों का जीवन ठीक से चल सके। यह काम नहीं करने से ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करना मुशकिल हो जायेगा। आज हम जो प्रति व्यक्ति आय मे अभिवृद्धि की बात करते हैं, वैसी वृद्धि तभी सम्भव है जब गांव के गरीब लोग देश की आर्थिक वृद्धि मे भाग ले पायेंगे।

जैसा कि पूर्व में वर्णित है, लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा योजनाऐं संचालित की जा रही हैं उनके मूल्यांकन के लिए बजट अध्यन राजस्थान केन्द्र के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। इस के अन्तर्गत छोटे लघु उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खादी ग्रामोद्योग तथा हाथ करघा पर अध्ययन किया गया। इन उद्योगो को बढ़ावा देने वाली संस्थाऐ जैसे कि जिला उद्योग केन्द्र व रुडा (Rural Non-Farm Development Agency यानिकी ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण) के योजनाओ पर भी अध्ययन किया गया।

यह अध्ययन 212 उपक्रमों पर किया गया। सर्वे के अन्तर्गत हमारे सामने एक तथ्य उभर कर आया कि रूड़ा से जुड़े सभी उद्यमी जिला उद्योग केन्द्र, हाथकरघा, खादी ग्रामोद्योग से जुडे हुऐ है, लेकिन जिला उद्योग केन्द्र, हाथकरघा व खादी ग्रामोद्योग के साथ सभी उपक्रम नहीं जुडे हुऐ हैं। अतः यह स्पष्ट हे कि रूडा से जुडे व्यक्ति सभी प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट तौर पर समझने के लिऐ हम मुख्य रूप से नीचे लिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं।

- रूडा – रूडा से जुडे जिला उद्योग केन्द्र, हाथकरघा व खादी ग्रामोद्योग उपक्रम सभी प्रकार के लघु उद्योगों के अन्तर्गत लाभ उठा सकते हैं।

- जिला उद्योग केन्द्र – जिला उद्योग केन्द्र से जुडे सभी उपक्रम हाथकरघा व खादी ग्रामोद्योग से तो जुडे हुऐ लेकिन रूडा से नहीं जुडे हुऐ हैं।
- हाथ करघा उद्योग – हाथ करघा उद्योग से जुडे सभी उपक्रम जिला उद्योग केन्द्र व खादी ग्रामोद्योग से तो जुडे हुऐ लेकिन रूडा से नहीं जुडे हुऐ हैं।
- खादी ग्रामोद्योग – खादी ग्रामोद्योग से जुडे सभी उपक्रम जिला उद्योग केन्द्र व हाथकरघा उद्योग से तो जुडे हुऐ लेकिन रूडा से नहीं जुडे हुऐ हैं।

इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि लघु उद्योग आपस में एक दूसरे से संबद्ध हैं। जब जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा प्रशिक्षण, सहायता एवं योजनाऐं दी जाती हैं तो खादी तथा हाथ करघा उद्योग से जुडे व्यक्तियों को भी लाभ मिलता हैं उसी प्रकार से जब खादी के द्वारा प्रशिक्षण, सहायता एवं योजनाऐ लागु की जाती हैं तो जिला उद्योग केन्द्र से पंजीकृत व्यक्ति तथा रूडा से जुडे व्यक्तियों को भी लाभ मिलता हैं।

इसी प्रकार से जब रूडा के द्वारा प्रशिक्षण, सहायता एवं योजनाऐं दी जाती है तो जिला उद्योग केन्द्र से पंजीकृत व्यक्ति, हाथ करघा, खादी ग्रामोद्योग से पंजीकृत व्यक्ति सभी इनका लाभ उठाते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर उद्यमी रूडा से पंजीकृत हैं तो वे किसी भी सस्था के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

बजट अधयन राजस्थान केन्द्र का सर्वे मुख्य रूप से चूरू, राजगढ़, केथून, सावा, सिकन्दरा, गोविन्दगढ़, तलवारा, आकोला, जुनिया, बांसवाडा, शाहपुरा, भीमपूरा, सोजत, मडरू, गोगून्दा, जीरोता खुर्द, रतनगढ़, दरिबा, चाकसू, अनूपपुरा, भीनमाल, छत्रेल, नागोर, टोंक, बानसपूर, व इस्लामपूर, स्थानो से सहभागी शामिल हुऐ।

इस सर्वे का उद्देश्य लघु उद्योगों के विकास के लिऐ चलाऐ जा रहे सरकारी प्रयासो की सारगर्भिता तथा उद्योगकर्मी जनसाधारण की इसके प्रति जागरुकता एवं चलाऐ जा रहे कार्यक्रमों से उनके कथित कल्याण का आंकलन करना है। जिला उद्योग केन्द, हाथ करघा, खादी ग्रामोद्योग, रूडा यह सभी उद्योगकर्मी आपस मे एक दूसरे से जुड़े हुऐ है।

हमारा सर्वे मुख्य रूप से जिलेवार क्लस्टर से जुडे उद्योगकर्मियों के आधार पर हैं। हमने क्लस्टर से जुडे उद्योगकर्मी का अध्ययन किया है। जिलेवार सर्वे के अध्ययन की एक जानकारी तालिका सख्या–1 के द्वारा दी जा रही हैं।

तालिका –1 : जिलेवार सर्वे की सूची

जिला	क्लस्टर का नाम	उत्पाद	सख्या
जयपुर	बगरू	प्रिंटिंग	8
	चाकसू	पेंटिंग, डायमण्ड	7
	अनुपपुरा	चर्म उत्पाद	7
	कोटज्वर	ब्लू पोट्री	8
	सांगानेर	ब्लू पोट्री	7
	गोविन्दगढ़	हेण्डलूम कम्बल	6
टोंक	टोंक	नमदा उद्योग, टोंक	7
अलवर	जूनीया	रेज़ा, खेस, टावल, रंगीन चादर	7
	बानसूर	चर्म उत्पाद	7
	इस्लामपुर	जूती उत्पाद	7
भीलवाड़ा	शाहपुर	रेज़ा, खेस, टावल, रगींन चादर	7
सीकर	मुडरू	चर्म रंगाई मुडरू	7
चूरू	रतनगढ़	उनी शॉल, खेस, तोलिया	8
	राजगढ़	कारपेट बुनाई	5
	दरिबा	टेक्सटाईल क्लस्टर	6
दोसा	जिरोता	दरिया हेण्डलूम वस्त्र	9
	सिकन्दरा	सिकन्दरा स्टोन पार्क	8
	बसवा	मिटटी के बर्तन	7
भरतपुर	बयाना	स्वाफे, रेजा, खेस, टावल, रंगीन चादर	7
बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	मिटटी के बर्तन	7
	तलवाड़	पत्थर की मुर्ति	7
उदयपुर	गोगुन्दा	टेरीकोट	7
चित्तौड़गढ़	अकोला	रगांई छपाई	7
नागोर	नागोर	नान क्लस्टर लोह के हस्थ औजार	7
बीकानेर	नापासर	खादी एसेशेरिज गारमेन्ट	7
जोधपुर	फलोदी	कशिदाकारी	7
जैसलमेर	जेसलमेर	वूलन शॉल क्लस्टर	7
जालौर	जालौर	चर्म उत्पाद	7
पाली	सोजत	उनी शॉल, खेस, तोलिया	7
कोटा	केथून	कोटा डोरिया	7

दी गई सूची वाले स्थानों पर ही हमारे द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। आगे हम सभी लघु श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।

(1) जिला उद्योग केन्द्र

सर्वप्रथम हमें यह ज्ञान होना अति आवश्यक है कि जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना कब हुई तथा इसकी स्थापना का मुख्य उद्धेश्य क्या है ? साथ ही जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा बनाई गई योजनाऐं किस के सन्दर्भ में है ?

राजस्थान में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना जुलाई 1978 को हुई इस की स्थापना का मुख्य उद्धेश्य लघु उद्योगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। अब जबकि हम यह जान चुके हैं कि जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना को आज 29 साल पुरे हो चुके हैं। इसी बात को मद्दे नजर रखते हुऐ हमने सर्वे के आधार पर देखा कि जिला उद्योग केन्द्र से 67.45 प्रतिशत व्यक्ति जुड़े हुऐ हैं (तालिका 2 से हम यह समझ सकते हैं)।

तालिका – 2 : जिला उद्योग केन्द्र से जुडे व्यक्तियों की सूचना

जिला उद्योग केन्द्र से जुड़े व्यक्ति	संख्या	प्रतिशत
हां	143	67.45
नहीं	69	32.55
कुल	**212**	**100**

सर्वेक्षण में हमारे द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि जिला उद्योग केन्द्र को जानने वाले कितने व्यक्ति जिला उद्योग केन्द्र से पंजीकृत हैं तथा उन्हे क्या–क्या सहायता मिली एवं क्या लाभ मिला ? इन सब तथ्यो की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है।

सर्वेक्षण के दौरान देखा गया कि 67.45 प्रतिशत व्यक्ति जिला उद्योग केन्द्र के बारे में जानते हैं, उनमे से 75 प्रतिशत व्यक्ति जिला उद्योग केन्द्र से जुडे हुए हैं। उनमे से 21 प्रतिशत व्यक्तियों ने जिला उद्योग केन्द्र से सहायता ली तथा उनमे से 42.42 प्रतिशत व्यक्तियों को सहायता ऋण के रूप मे प्राप्त हुई। 42.42 प्रतिशत व्यक्तियों ने अनुदान के रूप में 15.16 प्रतिशत व्यक्तियों ने मेलो व प्रशिक्षण के रूप मे प्राप्त की। सर्वेक्षण के दौरान उनसे पूछा कि आपने जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा चलाये जा रहे किन–किन कार्यक्रमों का लाभ उठाया। जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम को दो भागो मे बांटा गया है (1) प्रदर्शनियां एवं मेले (2) प्रचार–प्रसार एवं विज्ञापन। इस कार्यक्रम का लाभ कितने उद्योगो को मिला, यह हम नीचे दिये गये रेखा चित्र संख्या–1 की सहायता से समझ सकते हैं।

रेखा चित्र संख्या 1 :
जिला उद्योग केंद्र से जुड़े व्यक्तियों का विवरण।

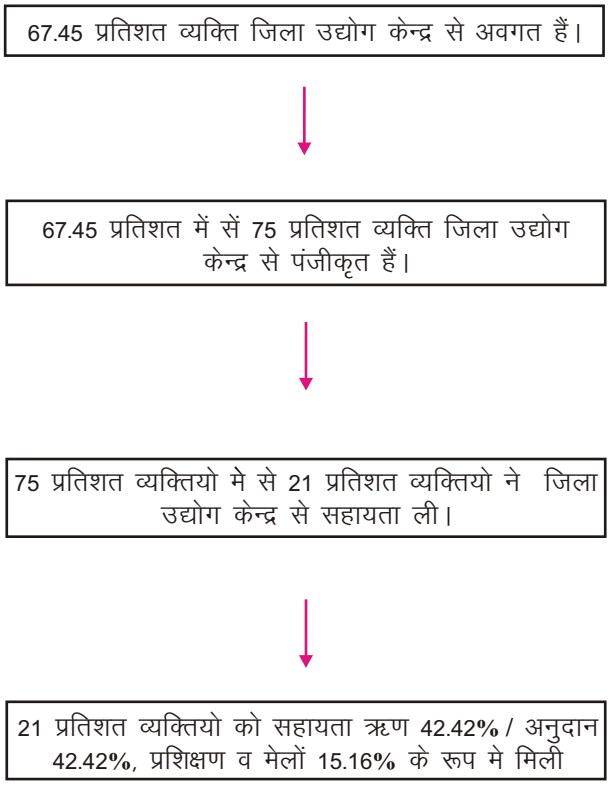

उद्योग विभाग के द्वारा जिला उद्योग केन्द्र तथा अन्य ऐजेन्सियों के साथ भी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। अन्य ऐजेन्सियों के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के प्रशिक्षण में भाग लेने वाले की संख्या 21.22 प्रतिशत व्यक्तियों ने भाग लिया। इसी तरह से सेमिनार मे 2.35 प्रतिशत, कार्यशाला में 2.83 प्रतिशत, संगोष्ठियां (व्यक्तियों का समूह जिसके अन्तर्गत सामुहिक रूप से विचार–विमर्श किया जाता हैं में 0 प्रतिशत, प्रदर्शन में 0.47 प्रतिशत, मीटस (व्यक्तियो का वह समुह जिसके अन्तर्गत एक ही विचार के व्यक्ति विचार विमर्श करते है) में 0.94 प्रतिशत व अन्य में 0.47 प्रतिशत। 28 प्रतिशत व्यक्ति जिन्होने सरकार, उद्योग विभाग तथा अन्य ऐजेन्सीयों के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम का लाभ उठाया। उनसे पूछा गया कि इन कार्यक्रमों में क्या विचार–विमर्श हुए। यह विचार–विमर्श 212 व्यक्तियों के आधार पर हैं। 12.73 प्रतिशत व्यक्ति ने बताया कि डिजाइन के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई। प्रशिक्षण के बारे में 3.77 व नई तकनीकी के बारे में 2.60 प्रतिशत व्यक्तियो ने चर्चा में भाग लिया तथा नीचे दी गई तालिका संख्या–3 को विस्तृत रूप से समझते हुए यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है।

तालिका– 3 : उद्योग विभाग तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा विचार विमर्श

उद्योग विभाग तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा विचार विमर्श	संख्या	प्रतिशत
विपणन समस्या	2	0.94
प्रबन्ध एवं वित्तीय समस्या	2	0.94
प्रशिक्षण	8	3.77
डिजाइन	28	12.73
नई तकनीकी	4	2.60
किस्म नियत्रंण	1	1.05
प्रदर्शन	1	1.05
नई तकनीक के बारे में विचार–विमर्श नहीं हुआ	166	78.8
कुल	**212**	**100**

इस कार्यक्रम मे सबसे ज्यादा लाभ नई डिजाइन व प्रशिक्षण के क्षेत्र में हुआ है। इसी दौरान उन्होंने बताया की सरकार उन्हे नई डिजाइन उपलब्ध कराती है।

नई तकनीकी व डिजाइन के बारे में चर्चा हुई। यह एक अच्छा कदम है लेकिन यह जानने कि कोशिश नहीं की उनकी वास्तविक आवश्यकता क्या है। डिजाईन व नई तकनीकी के बारे में चर्चा करने मात्र से कुछ नहीं होगा उनकी आवश्यकता का पता लगाकर आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिऐ। 77.88 प्रतिशत व्यक्तियो ने बताया कि उन्हे कोई लाभ नहीं हुआ है। उन्होने अपनी समस्याओं के बारें मे बताया तथा कहा कि अगर इस दशा में सरकार कदम बढ़ाऐ तो लाभ अवश्य होगा। उनके द्वारा बताई गयी समस्याऐ निम्न बिन्दु के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं।

उद्यमियों के द्वारा बताई गई आवश्यकताऐ :–

1. तकनीकी व डिजाइन वही बतानी चाहिऐ जो आसानी से मिल जाए।
2. नई डिजाइन व कलर की पूरी जानकारी।
3. माल को कहां बेचे (विपणन)।
4. सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाए।
5. मशीनें उपलब्ध कराई जाएं।

उद्योगकर्मियों की आवश्यकताओं को जानने के बाद हमने देखा कि उद्योगकर्मीयों को प्रशिक्षण के द्वारा क्या–क्या लाभ मिला। तालिका–4 के द्वारा यह स्पष्ट समझ सकते है।

सर्वेक्षण में उभर के आये तथ्य –

तालिका– 4 : सरकार के द्वारा चलाये गये कार्यक्रम से लाभान्वित उद्योगकर्मी

लाभ निम्न क्षेत्र में हुआ	संख्या	प्रतिशत
डिजाइन	28	13.2
नई तकनीकी	8	3.77
विपणन	7	3.3
किस्म नियत्रंण	2	0.94
कोई लाभ नहीं हुआ	167	78.8
कुल	**212**	**100**

दी गई तालिका को अगर हम देखते हैं तो हम स्पष्ट समझते हैं कि मुख्य रूप से उद्यमीयों को तीन क्षेत्रों में अधिक लाभ हुआ है। आगे हम मुख्य रूप से लाभान्वित क्षेत्र का अध्ययन करेंगे वह क्षेत्र हैं डिजाइन, नई तकनीकी एवं विपणन। विस्तृत अध्ययन इस प्रकार हैं।

योजना से कोई लाभ नहीं मिला

78.77 प्रतिशत ने बताया की प्रशिक्षण के दौरान उन्हे कोई लाभ नहीं हुआ है। इससे स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है कि व्यक्ति जानकारी के अभाव मे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह एक मुद्दा है लेकिन वह व्यक्ति जो योजना के बारे में जानते हे वो भी कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं ऐसा कयों ? यह एक विचार करने योग्य बात हैं। लोगो का कहेना था कि सरकार यह रूपया जो प्रशिक्षण के लिऐ खर्च कर रही हैं। उसकी जगह वह लद्यु उद्योगों के लिऐ मशीनों पर खर्च करे या जो उनकी मूलभूत आवश्यकता हैं उन पर खर्च करे। सर्वे मे लोगो ने कहा की उनके द्वारा जो तकनीकी बताई जाती हैं अगर वह इस तकनीकी का उपयोग करेंगे तो लागत बढ़ जाती हैं जिससे बाजार तक जाते–जाते माल की लागत काफी ज्यादा आ जायेगी। तो स्पष्ट रूप से समझ सकते हे की इस तरह कि तकनीकी बताने से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को कम रूपयों मे अच्छी तकनीकी की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिऐ ताकि लघु उद्योगों से जुड़े व्यक्ति इसका लाभ ले सके। सर्वेक्षण के दौरान उन्होने बताया की उन्हे ऋण व मशीनो की आवश्यकता है। सरकार द्वारा किये जा रहे अथक प्रयास को देखा जाये तो हम सिर्फ यह ही कह सकते हैं कि सरकार के योजनाऐं बनाने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा। योजनाओं के लिऐ सरकार जो बजट रख रही है उसके अन्तर्गत सरकार को उद्योगकर्मीयों को सूचीबद्ध करके आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिऐ।

डिजाइन

डिजाइन में 13.2 प्रतिशत व्यक्तियों को लाभ मिला। डिजाइन के बारे में उन्होने बताया कि गिफ्ट आईटम, कलर कॉम्बिनेशन व मैचिंग के बारे में बताते हैं तथा नई डिजाइन उपलब्ध करवाते हैं तथा उनको आकर्षक बनाने के बारे में बताते हैं तथा साथ ही साथ सर्वेक्षण में यह तथ्य उभरकर आया कि सरकार कार्यक्रम चलाती तो हैं लेकिन यह नहीं बताती कि नई डिजाइन व नये कलर व कौन सी चीज बाजार के

अन्तर्गत ज्यादा बिक रही है। प्रशिक्षण देने आये व्यक्तियो को सर्वप्रथम बाजार में क्या ज्यादा चल रहा है इस का पता होना जरूरी है। प्रशिक्षण देने आये व्यक्तियों को जब पता होगा कि बाजार में क्या चल रहा हैं और वह बाजार में चल रही प्रथा के अनुसार डिजाइन बतायेंगे तो प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्तियों को लाभ जरूर होगा। जिला उद्योग केन्द्र को बाजार का सर्वे करने के उपरान्त प्रशिक्षण देने भेजना चाहिऐ।

नई तकनीक

नई तकनीक के अन्तर्गत 3.77 प्रतिशत व्यक्तियों को प्रशिक्षण के दौरान सीखने को मिला। भाग लेने वाले व्यक्तियों ने बताया की इससे उनके व्यापार में कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले व्यक्ति ऐसी तकनीकी की जानकारी देते हैं जो यहाँ के बाजार में उपलब्ध नहीं होती है तथा उनके द्वारा बताई गई मशीनें बहुत ज्यादा महंगी होती हैं जो कि हमारे द्वारा खरीदना असम्भव है। सहभागियों ने कहा कि एसिड से कलर बनाना, रंग पक्का करना आदि के बारे में वह ऐसी तकनीक व केमिकल की जानकारी देते हैं जो बाजार मे उपलब्ध नहीं हो पाते। लेकिन उनमें से कुछ ने बताया की हमें उन्होने बिना एसिड के कलर बनाना व रंग पक्का करना बताया तथा नई तकनीक द्वारा मिट्टी के बर्तन पकाना, जूतियां बनाने के नये तरीके व बैग निमार्ण सम्बंधित लाभ मिला। इससे यह बात सामने आई कि प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे व्यक्तियों की आवश्यकता का पता लगा कर उद्यमियों को और ज्यादा लाभान्वित किया जा सकता है, जैसा कि हमने पूर्व में देखा है।

विपणन

3.3 प्रतिशत सहभागियों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हे विपणन के क्षेत्र में लाभ हुआ हैं कार्यक्रम के दौरान जब विचार–विमर्श हुआ तब उन्होंने बताया कि माल को बचने की समस्या सबसे ज्यादा है तथा माल को कहां पर बेचा जाये ? उन्होने बताया की अगर किस्म नियंत्रण पर ज्यादा ध्यान दिया जाये तो माल को अच्छे मूल्य पर शहर में बेचा जा सकता है। अगर सरकार प्रशिक्षण के द्वारा विपणन के क्षेत्र में उद्यमीयो की सहायता करना चाहती है तो सरकार को ग्रामीण तकनीकी का उपयोग करना चाहिऐ तभी विपणन के क्षेत्र में उद्योगकर्मीयों को लाभ मिलेगा।

(1 ए) सहायता

इस रूप में सरकार के द्वारा मुख्य रूप से दो निम्न प्रकार से मदद दी गई हैं। इसका विस्तृत अध्ययन इस प्रकार से।

- V भत्ता
- V ऋण

भत्ता

सरकार के द्वारा प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाये गये हैं। उनमें सरकार के द्वारा प्रशिक्षण में आये व्यक्तियों को सहायता दी गई हैं। यह सहायता उन्हे प्रशिक्षण के दौरान भत्ते के द्वारा प्राप्त सहायता से हैं। प्रशिक्षण के दौरान उनको भत्ता प्रतिदीन 90 से 150 रु, उपलब्ध कराया गया। भत्ता उनको किराया, अनुदान, सब्सिडी, मजदूरी व भोजन के रूप मे दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान रहने, आने–जाने, खाने की भी सुविधा दी जाती हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा उनको बुलाने व प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयास किया गया।

दी गई सहायता का सारणी के द्वारा अवलोकन तालिका संख्या–5 के अनुसार।

(यह सारणी 212 उपक्रमों के अनुसार दी गई है)

तालिका – 5 : भत्ते के रूप में प्राप्त सहायता

विषय	संख्या	प्रतिशत
किराया	3	1.41
एक दिन के अनुसार भत्ता	26	12.26
दोनो प्रकार से सहायता जैसा कि किराया एवं भत्ता	7	3.30
नाश्ते के लिऐ	2	0.94
मजदूरी	1	0.47
किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया गया	173	81.60
कुल	**212**	**100**

½.k

सरकार के द्वारा ऋण की सहायता भी दी गई हैं। इस सुविधा का लाभ 50 व्यक्तियों ने उठाया हैं। तालिका सख्या 6 को देखे।

तालिका – 6 : ऋण से लाभान्वितो की संख्या

ऋण के द्वारा प्राप्त लाभान्वित	संख्या	प्रतिशत
हां	50	23.58
नहीं	162	76.41
कुल	**212**	**100**

योजनाओं के प्रचार व प्रसार के अभाव मे योजनाऐं सिर्फ सरकारी दफ्तर के पन्नो में दब के रहे गई हैं। क्योंकि लोगो के पास यह जानकारी नही हैं की योजनाऐं किस के सन्दर्भ में हैं तथा उनका कैसे लाभ उठाया जा सकता है। सरकार के द्वारा मात्र योजनाऐं बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को इस के लिए उनकी वास्तविक आवश्यकता तथा प्रचार व प्रसार की दशा मे सशक्त कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन वह व्यक्ति जो योजनाओं के बारे में जानते हैं वह इस का लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। इस दशा में सरकार को अपना विशेष ध्यान आकर्षित करना होगा।

आगे हम हाथ करघा उद्योगों पर चर्चा करेंगे।

(2) हाथ करघा उद्योग व हस्तशिल्प उद्योग

हाथ करघा उद्योग राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में से एक है। सर्वे के दौरान सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का मुख्य रूप से तीन प्रकार से अध्ययन किया गया ।

2.1 प्रशिक्षण

2.2 सहायता

2.3 योजनाऐं

2.1 प्रशिक्षण

सर्वे के दौरान हमने प्रशिक्षण के बारे में पूछा क्या आपने एकीकृत हाथकरघा प्रशिक्षण परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया ? इस पर हमें जानने को मिला कि 22 व्यक्ति हाथकरघा से जुडे हुऐ है। 22 व्यक्तियो ने ही भाग लिया। मतलब 100 प्रतिशत व्यक्तियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

प्रशिक्षण लेने वाले 22 व्यक्तियों से पूछा गया की उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान कौन–कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त किया (नीचे दी गई तालिका 7 से)। बुनाई प्रशिक्षण मे 31.81 प्रतिशत व्यक्ति ने भाग लिया। डिजाइन प्रशिक्षण मे 13.63 प्रतिशत व्यक्तियों ने भाग लिया। इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए नीचे दी गई तालिका–7 का अध्ययन करेंगे।

तालिका – 7 : योजना के अतंर्गत प्रशिक्षण का स्वरूप

योजना के अतंर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	व्यक्तियो कि संख्या	प्रतिशत
बुनाई प्रशिक्षण	2 माह	7	31.81
डिजाइन विकास प्रशिक्षण	15 दिन	3	13.63
रंगाइ तकनीकी प्रशिक्षण	15 दिन	0	0
प्रबन्धन कार्यशाला	5 दिन	0	0
विपणन, सहकारिता, वित्तिय कार्यशाला	3 दिन	0	0
अन्य प्रशिक्षण		0	0
भाग नहीं लिया		12	54.54
कुल		**22**	**100**

हाथ करघा उद्योग पर हमारा सर्वे 22 व्यक्तियों के आधार पर हैं। हाथकरघा उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षण तो 100 प्रतिशत व्यक्तियों ने भाग लिया। लेकिन प्रशिक्षण का लाभ मात्र 45.44 प्रतिशत व्यक्तियों को ही प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण के द्वारा सरकार हाथ करघा उद्योग को बढ़ावा देकर उनकी आय को वास्तविक रूप में बढ़ाना चाहती हैं तो सरकार को योजनाओं के प्रचार व प्रसार के साथ उन व्यक्तियों की तरफ भी अपना ध्यान देना होगा जो कि प्रशिक्षण के बारे में जानते है तथा प्रशिक्षण के अन्तर्गत भाग ले रहे हैं। उनको प्रशिक्षण के द्वारा किस प्रकार लाभान्वित किया जा सकता है सरकार को अपना ध्यान इस तरफ देना होगा।

2.2 सहायता

हाथ करघा सहकारी समिति से 100 प्रतिशत व्यक्ति जुड़े हुऐ हैं। 36.4 प्रतिशत व्यक्तियों को हाथकरघा सहकारी समिति से सहायता मिली। सहायता के रूप मे मशीनें मिली (नीचे दी गई तालिका 8 से)।

तालिका–8 : योजना के अतंर्गत सहायता

सहायता के प्रारूप	संख्या	प्रतिशत
मशीने	8	36.4
किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली	14	63.6
कुल	**22**	**100**

सर्वेक्षण के दौरान सामने आया की राजस्थान हाथ करघा विकास निगम से सहायता के रूप में 36.4 प्रतिशत व्यक्तियो ने अनुदान प्राप्त किया तथा उन्होंने बताया कि अनुदान के अलावा ऋण, मशीनें व कच्चे माल के रूप मे 18.1 प्रतिशत व्यक्तियों को सहायता प्राप्त हुई। तालिका–9 की सहायता से हम स्पष्ट समझ सकते हैं।

तालिका–9 : अनुदान के रूप मे सहायता

अनुदान के रूप मे सहायता	संख्या	प्रतिशत
अनुदान	8	36.4
ऋण	1	4.5
मशीने एवं ऋण दोनो	3	13.6
किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली	10	45.5
कुल	**22**	**100**

सर्वेक्षण के अन्तर्गत हमे ज्ञात हुआ कि सहायता के रूप में सरकारी प्रशिक्षण के दौरान उनको स्थाई फण्ड या प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता तथा अन्य सहायताऐं दी गईं। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियो मे से 54.5 प्रतिशत व्यक्तियों को सहायता मिली। सहायता मे 100 रू. भत्ता प्रतिदिन के हिसाब से व किसी को पूरे प्रशिक्षण के दौरान रहने व खाने कि सुविधा दी गई। अन्य सहायता के रूप में ऋण की सुविधा दी गई। सरकार के द्वारा योजनाओं का लाभ 54.4 प्रतिशत व्यक्ति ही उठा रहे थे जो कि हाथ करघा से जुडे हुऐ हैं। लेकिन सरकार ने प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार चालू किया है। इसमें 18.18 प्रतिशत लोगो को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया।

तालिका–10 : प्रोत्साहन पुरस्कार

प्रोत्साहन पुरस्कार	संख्या	प्रतिशत
प्रोत्साहन पुरस्कार मिला	4	18.18
प्रोत्साहन पुरस्कार नही मिला	18	81.82
कुल	**22**	**100**

प्रोत्साहन के क्षेत्र में सरकार का यह एक अच्छा कदम है लेकिन मात्र 18.18 प्रतिशत व्यक्तियों को पुरस्कार देने से काम नहीं बनेगा। सरकार को पुरस्कार के साथ–साथ हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकता जैसे मशीने, कच्चा माल, विपणन आदि के क्षेत्र मे सहायता करनी होगी।

2.3 योजनाऐं

राजस्थान मे हाथकरघा उद्योग प्रमुख ग्रामीण उद्योगों मे से एक हैं। हाथकरघा से जुडी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने मुख्य रूप से निम्न योजनाऐं बनाई हैं।

1) हैल्थ पैकेज योजना
2) करघा घर योजना
3) बुनकर हेतु नई बीमा योजना
4) दीनदयाल हाथकरघा योजना
5) हस्तशिल्प व दस्तकार योजनाऐं

(1) हैल्थ पैकेज योजना :

भारत सरकार द्वारा बुनकरों के कल्याण हेतु चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य बुनकरों के निदान / उपचार हेतु सहायता उपलब्ध कराना हैं। इस योजना का मुख्य रूप से बुनकरों की आखों की जाचॅ व चश्मा, प्रसूती सहायता, टी.बी./अस्थमा आदि बीमारियों का उपचार सम्मिलित हैं। बुनकरों की सघन बस्ती के क्षेत्रों मे पीने के पानी के लिए बोरवेल व चिकित्सा सुविधा के लिए ए. एन. एम. सेन्टर का निमार्ण किया जाता है। यह योजना 1994–1995 से चल रही है। ए.एन.एम. केन्द्र का मुख्य कार्य हैं महिलाओं, बच्चों के हित में एवं प्रारम्भिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करना है तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र में भी कार्यरत हैं।

सर्वेक्षण के दौरान हमने हाथकरघा उद्योगों से जुड़े व्यक्तियों से पूछा क्या वे हेल्थ पैकेज योजना के बारे में जानते है ? 100 प्रतिशत लोगो ने कहा हम नहीं जानते हैं। मतलब 100 प्रतिशत व्यक्ति इस योजना के बारे में नहीं जानते है। अगर वह योजना के बारे में जानते ही नहीं है तो वह योजना का क्या लाभ उठायेगें ?

तालिका 11 व 12 से ज्ञात हुआ कि आंखो की जांच के लिए 40 रू. व नजर के चश्मे के लिए 150 रू. देय हैं।

तालिका–11 : हैल्थ पैकेज योजना के बारे में जानने वालो की संख्या।

क्या आप हैल्थ पैकेज योजना के बारे में जानते हैं ?	संख्या	प्रतिशत
हैल्थ पैकेज योजना के बारे में जानकारी हे	0	0
हैल्थ पैकेज योजना के बारे में जानकारी नहीं है।	22	100
कुल	**22**	**100**

तलिका–12 : क्या सुविधाऐं प्राप्त हुयी।

मद	राशी	हां	%	नहीं	%
चिकित्सा पुनर्भरण	1500	0	0	22	100
आंखें की जांच	40	0	0	22	100
नजर के चश्में	150	0	0	22	100
प्रसूति	500	0	0	22	100
नसबन्दी	100	0	0	22	100
बोरवेल	35000	0	0	22	100
ए एन एम केन्द्र*	100,000	0	0	22	100

* ANM : auxiliary nurse midwives centre.

ऊपर दी गई दोनो सारणी को देखने पर हम स्वतः ही समझ चुके हैं कि योजना बनाने मात्र से लाभ नही होगा। सरकार को चाहिऐ कि वो सूचिबद्धकरके हाथ करघा से जुडे व्यक्तियो को लाभान्वित किया जाऐ। लेकिन सरकार से प्राप्त आकणों को अगर हम देखें तो हेल्थ पैकेज योजना जब तक चली कुछ लोगों को लाभान्वित कर रही थी लेकिन बजट के प्रावधान व वास्तविक खर्च दोनों में अन्तर है (देखें तालिका संख्या 12 ए व 12 बी)। तालिका 12 ए के अनुसार 2003–04 एवं 2004–05 में वास्तविक व्यय बजट प्रावधान से कम रहा।

सरकार से हमारे द्वारा हैल्थ पैकेज व हैल्थ इन्श्योरेन्स के बारे में सूचना के अधिकार के तहत हमने उनसे वर्ष 2001 से लेकर 2007–2008 तक की सूचि प्राप्त की है। वह इस प्रकार है। तालिका 12 बी में भी 2006–07 व 2007–08 में भी समान रूप से दिख रहा है।

तालिका–12 ए : हैल्थ पैकेज

वर्ष	बजट प्रावधान (राशी लाखों में)	वास्तविक खर्च (राशी लाखों में)	लाभान्वितो कि संख्या
2001–2002	0.00	2.04	605
2002–2003	0.55	0.55	132
2003–2004	4.44	2.72	431
2004–2005	3.00	2.07	499
2005–2006	0.00	0.00	0.00
2006–2007	0.00	0.00	0.00
2007–2008	0.00	0.00	0.00

हैल्थ पैकेज योजना 2004–2005 तक रही। वर्तमान में बंद हो गई हैं।

तालिका–12 बी : हैल्थ इन्श्योरेन्स

वर्ष	बजट प्रावधान (राशी लाखों में)	वास्तविक खर्च (राशी लाखों में)	लाभान्वितो कि संख्या
2001–2002	0.00	0.00	0.00
2002–2003	0.00	0.00	0.00
2003–2004	0.00	0.00	0.00
2004–2005	0.00	0.00	0.00
2005–2006	0.00	0.00	0.00
2006–2007	6.00	4.94	5508
2007–2008	6.50	0.00	0.00

(2) करघा घर योजना

भारत सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरो के लिए वर्ष 1985–86 से करघाघर योजना शरू की गई थी। सम्पूर्ण अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। 1997–98 से इस योजना को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे विभक्त कर युनिट कास्ट में निम्न प्रकार से परिवर्तन कर दिया गया है :–

तालिका–13 : करघा घर योजना

क्र.सं.	विवरण	ठकाई मूल्य (रू.)	अधिकतम अनुदान राशी (रू.)	बुनकर का हिस्सा (रू.)
1	करघा घर ग्रामीण	9000	7000	2000
2	करघा घर शहरी	14000	10000	4000

सर्वे के दौरान उनसे करघ ाघर के बारे में पूछा तो हमें ज्ञात हुआ कि 72.72 प्रतिशत व्यक्ति करघा घर के बारे में जानते हैं। वह व्यक्ति जो करघा घर की जानकारी रखते हैं उनमें से सहायता 75 प्रतिशत व्यक्तियों को प्राप्त हुई।

तालिका–14 : करघा घर के बारें मे जानते

करघा घर के बारें में जानते हैं ?	संख्या	प्रतिशत
हां	16	72.72
नहीं	6	27.28
कुल	**22**	**100**

तालिका–15 : करघा घर बनाने के लिए सहायता मीली ?

करघा घर बनाने के लिए सहायता मीली ?	संख्या	प्रतिशत
हां	12	75
नहीं	4	25
कुल	**16**	**100**

सहायता नहीं मिलने का कारण पूछा गया तो जवाब था सरकारी अधिकारी लापरवाह हैं तथा कुछ ने बताया कि लोगों को जानकारी का अभाव है एवं कुछ व्यक्तियों ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर हम सरकार के दिये आकड़ो को देखे तो हमे ज्ञात होगा कि करघा घर के क्षेत्र में लोगो को लाभ जरूर से प्राप्त हुआ हैं। हमारे सर्वे के दौरान भी 75 प्रतिशत व्यक्तियों को लाभ मिला। इस से साफ पता चलता हैं कि सरकार ने अपना ध्यान आकर्षित किया हैं तथा सरकार को उस क्षेत्र में लाभ मिला हैं। दी गई तालिका सख्या 15–ए के अनुसार हम सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों पर एक नजर। वर्ष 2001 से लेकर 2007–2008 तक की सूचि इस प्रकार से हैं।

तालिका 15–ए : करघा घर

वर्ष	बजट प्रावधान (लाखों में)	वास्तविक खर्च (लाखों में)	लाभान्वितो कि संख्या
2001–2002	52.28	48.62	651
2002–2003	21.50	21.10	641
2003–2004	53.22	35.48	547
2004–2005	53.22	16.21	710
2005–2006	76.60	78.26	666
2006–2007	76.60	0.00	687
2007–2008	200.00	0.00	0.00

(3) बुनकर हेतु नई बीमा योजना

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1997–98 से बुनकरों के लिए नई बीमा योजना शरू की गई हैं। यह योजना जिला केन्द्रो के माध्यम से क्रियान्वय की जा रही हैं। इस योजना के अर्न्तगत बुनकरों का बीमा एक वर्ष के लिए होता है (सारणी संख्या 16 देखें)। जिसका प्रिमियम 120/रू. निर्धारित हैं। प्रीमियम राशि का 60 / रू. भारत सरकार द्वारा 40/रू. राज्य सरकार द्वारा एवं 20/रू. बुनकर द्वारा वहन किया जाता हैं। बीमा पॉलिसी यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. के माध्यम से जारी होती है। इस योजना के अर्न्तगत 18 से 70 वर्ष की उम्र वाले बुनकर पात्रता रखते है।

योजना में बुनकर निम्नानुसार लाभान्वित हो सकेंगे।

तालिका–16 : योजना मे बुनकर निम्नानुसार लाभान्वित हो सकेगा

क्र.स.	विवरण	संख्या
1	बुनकरों के मकान / कार्यशाला में आग लगने से नुकसान होने पर	10000
2	बुनकरों का कच्चा माल, तैयार माल तथा करघा एवं अन्य हाथकरघा सम्बन्धी उपकरण आग से नष्ट होने पर	10000
3	दुर्धटना मे मृत्यु होने पर या दोनों पैर अथवा दोनो आखे या एक पैर और एक आंख के नुकसान पर अथवा पूर्ण रूप से चोट / दुर्घटना से अक्षम होने पर	100000
4	एक पैर और एवं एक आंख के नुकसान पर	50000
5	अस्पताल मे चोट अथवा बीमारी के कारण भर्ती होने पर	2000
6	आँखों की जांच के लिए 40 रू. व नजर के चश्में के लिए 150	190
7	महिला बीमाधारियों को प्रसूति हेतु (दो जीवित बच्चो तक)	750

सर्वे के दौरान हमने यह देखा कि नई बीमा योजना के बारे में मात्र 22.72 प्रतिशत व्यक्ति ही जानकारी रखते है। जो योजनाओं के बारे में जानते थे, उन सभी ने बीमा कराया। लेकिन लाभान्वित मात्र 20 प्रतिशत व्यक्ति ही हुऐ। वह 20 प्रतिशत दुर्घटना के लिए है। नीचे दी गई तालिका सख्या 17, 18 व 19 के द्वारा समझते हुए।

तालिका–17 : नई बीमा योजना के बारे में जानते हैं ?

नई बीमा योजना के बारे में जानते हैं ?	संख्या	प्रतिशत
हां	5	22.72
नहीं	17	77.28
कुल	**22**	**100**

तालिका–18 : क्या आपने बीमा कराया है ?

क्या आपने बीमा कराया है ?	संख्या	प्रतिशत
हां	5	100
नहीं	0	0
कुल	**5**	**100**

तालिका–19 : योजना का क्या लाभ मिला ?

योजना का क्या लाभ मिला ?	संख्या	प्रतिशत
कोई लाभ नहीं मिला	4	80
दुर्घटनाग्रस्त होने पर लाभ मिला	1	20
कुल	**5**	**100**

हमने देखा कि जो व्यक्ति बीमा योजना के बारे में जानते थे उन सभी ने बीमा कराया है। सर्वे के दौरान हमने देखा कि 80 प्रतिशत व्यक्तियों को लाभ हुआ है और हम सरकार के आंकड़ों की तरफ अगर एक नजर डालें तो हमे ज्ञात हुआ कि सरकार के द्वारा बजट प्रावधान व वास्तविक बजट में वर्ष 2001–2002 में 93 प्रतिशत सरकार ने खर्च किया हैं (तालिका 19 ए के द्वारा)। सरकार से हमारे द्वारा नई बीमा योजनो के बारे में सूचना के अधिकार के तहत हमने उनसे वर्ष 2001 से लेकर 2007–2008 तक की सूचि प्राप्त की है।

तालिका–19 ए : नवीन बीमा योजना

वर्ष	बजट प्रावधान (लाखों में)	वास्तविक खर्च (लाखों में)	लाभान्वितो कि संख्या
2001–2002	52.28	48.62	651
2002–2003	21.50	21.10	641
2003–2004	53.22	35.48	547
2004–2005	53.22	16.21	710
2005–2006	76.60	78.26	666
2006–2007	76.60	0.00	687
2007–2008 संशोधित अनुमान	200.00	0.00	0.00

(4) दीनदयाल हाथकरघा योजना

दीनदयाल हाथकरघा योजना दिनाक : 1.4.2000 से प्रभावी है इस योजना के मुख्यतः सात भाग हैं।

प्रथम भाग बेसिक इनपुट से सम्बंन्धित हैं। द्वितीय भाग में आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। तृतीय भाग में डिजाईन इनपुट, कम्प्युटर एडेड डिजाइन एवं कम्प्यूटर एडेड मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था की गई है। योजना का चतुर्थ भाग प्रचार व प्रसार से सम्बन्धित है। हाथकरघा उत्पादों के प्रचार व प्रसार के लिए एक मुश्त 5.00 लाख रू. तक की ग्रान्ट प्रति एजेन्सी को स्वीकृत की जा सकती हैं। पंचम भाग विपणन प्रोत्साहन से सम्बन्धित है। छठा भाग यातायात के अनुदान से सम्बन्धित हैं। जो राजस्थान राज्य के लिऐ प्रभावी नहीं हैं। सांतवा भाग राज्य में हाथकरघा सगंठनो के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित है।

सरकार के द्वारा हाथकरघा के लिए कितनी सहायता की जा रही है यह उपरोक्त विश्लेषण से हमे ज्ञात हो चुका है। अगर सरकार ग्रामीण व्यक्तियों के आय के स्तर को बढ़ाना चाहती हे तो सरकार को हाथकरघा से जुडे व्यक्तियों को सूचीबद्ध करके लाभ पहुंचा सकती है।

हस्तशिल्प उद्योग के बारे में हमने उनसे एक ही प्रश्न किया कि क्या उन्होंने इंस्ट्टीयूट ऑफ क्राफ्ट से कोई सहायता प्राप्त की ? पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि 100 प्रतिशत व्यक्तियों ने एक ही स्वर मे कहा कि हमे कोई सहायता नहीं मिली।

इससे एक बात साफ है कि हस्तशिल्प का भविष्य जल्द ही समाप्ति की ओर अग्रसर है। अगर सरकार वास्तव में हस्तशिल्प के द्वारा ग्रामीण व्यक्तियों के आय के स्तर को बढ़ाना चाहती है तो उसे इस दिशा में अपने कदम जल्द ही उठाने होंगे। इस से पहले कि वह समाप्त हो जाऐ योजनाओं के प्रचार व प्रसार के द्वारा लोगों को जानकारी दें व योजनाओं से उनको क्या लाभ मिलेगा इसके बारे में भी बताना जरूरी हैं। सरकार ने हस्तशिल्प के क्षेत्र मे भी योजनाऐं बनाई हैं ये निम्न प्रकार से हैं।

(5) हस्तशिल्प व दस्तकार योजनाऐं

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार के सहयोग से राज्य में हस्तशिल्प दस्तकारों के कल्याण के लिए राज्य में एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत अस्पताल में भर्ती होने वाले बीमारों को उनकी बीमारी पर किये गये व्यय का पुनर्भुगतान, दुर्घटनावश मृत्यु, स्थाई अपंगता अथवा दोनों हाथ–पैरों या दोनों आँखों की क्षति होने पर 50,000 रूपये तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। वर्ष 1999–2000 के दौरान योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 3.00 लाख रू.का प्रावधान किया गया एवं केन्द्र सरकार से 9.00 लाख रू. अंशदान प्राप्त हुआ जिससे 6000 हस्तशिल्पी दस्तकारों का बीमा कराया गया। वर्ष 2000–2001 के दौरान भी 6000 हस्तशिल्पी दस्तकारों के बीमा हेतु राज्य सरकार द्वारा 3.00 लाख रू. एवं केन्द्र सरकार द्वारा 9.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है।

सर्वे के दौरान हमने यह पूछा की क्या वे राजस्थान एवं दस्तकार कल्याणकोष योजना के बारे में जानते हैं ?100 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि हम नहीं जानते। हमारा सर्वे 212 व्यक्तियों के आधार पर है। इससे स्पष्ट है कि लोगों को जानकारी नहीं है। जब तक जानकारी नहीं होगी लोगो को लाभ मिलना असम्भव है। सरकार को योजनाओं के प्रचार व प्रसार की अति आवश्यकता है, लेकिन प्रचार–प्रसार के साथ–साथ सरकार को बजट के अन्तर्गत अपना बजट बढ़ाना होगा तभी सरकार प्रचार प्रसार से जागृत हुऐ व्यक्तियों को लाभान्वित कर सकेगी। तब हम यह कह सकेंगे की सरकार लघु उद्योगों के द्वारा आय के स्तर को बढ़ाना चाहती है तभी हस्तशिल्प उद्योगों को लुप्त होने से बचाया जा सकता है।

(3) खादी ग्रामोद्योग

लघु उद्योग के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग भी सम्मिलित होता है। राजस्थान मे खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने व रोजगार की दृष्टि से भी राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना अप्रेल 1955 मे हुई।

खादी ग्रामोद्योग के उद्देश्य एवं कार्य

- रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्येश्य
- बिक्रीयोग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक उद्येश्य

- जनता में आत्मनिर्भरता एवं स्वराज की भावना प्रदान करने का व्यापक उद्देश्य।

खादी ग्रामोद्योग के मुख्य कार्य

- खादी/ग्रामोद्योगी अथवा हस्तकला उत्पादो की बिक्री एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रोमोद्योग आयोग जहां कहीं आवश्यकता हो बाजार में स्थापित अभिकरणों के साथ लिंकेज स्थापित कर सकता है।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग को खादी और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र मे लघु उत्पादन तकनीकी और उपकरणों के बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा इससे जुडी समस्याओ के बारे में अध्ययन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने की भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग को खादी और ग्रामोद्योगों को वित्तिय सहायता, डिजाईन एवं तकनीकी जानकारी प्रदान करते हुऐ उनका मार्गदर्शन करने का दायित्त्व सौंपा है।
- खादी तथा ग्रामोद्योग की समस्याओं के बारे में सीधे अथवा अभिकरणों के माध्यम से अध्ययन कराया जा सकता है।

सर्वे के दौरान हमने पूछा की क्या आप औद्योगिक इकाई खादी ग्रामोद्योग से पंजीकृत हैं ? 25 प्रतिशत व्यक्तियो ने कहा की वह इस इकाई से पंजीकृत हैं।

सरकार द्वारा कीये जा रहें प्रयासों का हमारे सर्वे के दौरान मुख्य रूप से तीन प्रकार से अध्ययन किया गया –

3.1 प्रशिक्षण

3.2 सहायता

3.3 योजनाऐं

3.4 अन्य

3.1 प्रशिक्षण

सर्वे के दौरान यह सामने आया कि 212 मे से 25 प्रतिशत व्यक्ति ही खादी ग्रामोद्योग संस्था से पंजीकृत है और पंजीकृत मे से 0.47 प्रतिशत व्यक्ति ने प्रशिक्षण लिया। इससे एक बात स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि व्यक्ति जब खादी ग्रामोद्योग के द्वारा पंजीकृत ही नहीं हैं तो उनके पास प्रशिक्षण कि जानकारी कैसे पहुँच सकती हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो कि पंजीकृत हे वह प्रशिक्षण का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं ? सरकार को अपना ध्यान इन विषयों की ओर खींचना चाहिऐ।

3.2 सहायता

सर्वे के दौरान यह पूछा गया की क्या आपको राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा कोई सहायता प्राप्त हुई ? पंजीकृत व्यक्तियों मे से 45.28 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि हमें सहायता मिली। सहायता निम्न रूप से प्राप्त हुई, 37.5 प्रतिशत ने बताया की कच्चे माल कि सुविधा मिली, 37.5 को वित्तीय से सम्बंधित सहायता मिली तथा 4.17 प्रतिशत ने कहा कि उनको प्रशिक्षण मे सहायता मिली एवं 8.34 प्रतिशत ने बताया की अनुदान के रूप मे मिली तथा 12.5 प्रतिशत ने बताया कि उन्हे रोजगार के रूप मे सहायता

तालिका–20 : राजस्थान खादी ग्रामोद्योग से क्या क्या सहायता ली है।

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग से सहायता निम्न रूप में मिली	सख्या	प्रतिशत
कच्चे माल	9	37.5
वित्तिय सहायता	9	37.5
प्रशिक्षण में सहायता	1	4.16
अनुदान	2	8.34
रोजगार	3	12.5
कुल	**24**	**100**

3.3 योजनाऐं

राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, अप्रेल, 1955 में किया गया। योजना की निम्नलिखित विशेषतायें हैं।

1. परियोजना की पात्रता

योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नई ग्रामोद्योगी परियोजनायें स्थापित की जा सकेगी। पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

2. पात्र गतिविधियां

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी नकारात्मक सूची में प्रकाशित उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योग इस योजना के अर्न्तगत स्थापित किये जा सकेंगे। ग्रामीण उद्योग का अर्थ है, ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो एवं जिसमें प्रति कारीगर स्थाई पूंजी निवेश रू. 50,0000 से अधिक हो।

3. ऋण के लिए पात्रता

सरकार के द्वारा ऋण की सुविधा भी दी जा रही है इस सुविधा का लाभ तीन प्रकार की पात्रता रखने वाले व्यक्ति ही उठा सकते है।

पात्रता

(1) वैयक्तिक (कारीगर उद्यमी) (2) संस्थायें, सहकारी समितियां एवं (3) स्वयं सहायता समूह।

4. उद्योग की अधिकतम लागत सीमा

व्यक्तिगत इकाई संस्थाओं, सहकारी समिति, न्यास एवं सहायता समूह के लिए उद्योग के अधिकतम सीमा परियोजना लागत 25 लाख रू. है।

5. ग्रामीण क्षेत्र

के राजस्व अभिलेखा के अनुसार गांव की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो ऐसा कोई क्षेत्र जो कस्बे के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया हो लेकिन जिसकी जनसख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 20 हजार से अधिक नहीं हो।

6. प्रायोजकता

किसी एजेंसी द्वारा परियोजना को प्रायोजित करना अनिवार्य नहीं है तथापि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/क्षेत्रीय कार्यालय और राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडल/डी.आई.सी. परियोजना का प्रायोजन उद्यमी के अनुरोध पर कर सकते हैं।

7. उद्यमिता विकास परिक्षण कार्यक्रम (ई.डी.पी.)

बैंक की किसी भी शाखा द्वारा परियोजना को मंजूरी देने के बाद उद्यमी को दूसरी किस्त जारी होने से पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा भी उपलब्ध है।

8. मार्जिन मनी

10.00 लाख रू. तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत की 25 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। 10 लाख रू. से अधिक एवं 25 लाख रू. तक की परियोजना के लिए मार्जिन मनी राशि 10 लाख रू. तक 25 प्रतिशत और परियोजना की शेष लागत के लिए 10 प्रतिशत होगी। कमजोर वर्ग के लाभार्थियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतर्पूव सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों/संस्थाओं तथा पर्वतीय सीमावर्ती एवं जनजाति क्षेत्रों के लिये मार्जिन मनी राशि (अनुदान) 10 लाख रू. तक की परियोजना लागत के लिये 30 प्रतिशत की दर से तथा परियोजना की शेष लागत के लिए 10 प्रतिशत होगी।

9. उद्यमी का योगदान

इस योजना के अन्तर्गत उद्यमी को निवेश के रूप में परियेाजना लागत का 10 प्रतिशत अपना योगदान करना होता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय एवं अन्य कमजोर वर्ग के उद्यमीयों के मामले में यही योगदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत होगा।

10. ऋण की मात्रा

बैंक सामान्य श्रेणी के उद्यमी को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत राशि तथा कमजोर वर्ग के लाभग्राहियों/संस्थाओं के मामले में 95 प्रतिशत ऋण राशि स्वीकृत कर भुगतान करेंगे परियोजना की लागत में भूमि की कीमत शामिल नहीं की जायेगी।

11. मार्जिन मनी का भुगतान

बैंक द्वारा क्रैडिट सुविधा की स्वीकृति के पश्चात मार्जिन मनी की उपयुक्त राशि लीडिंग बैंक शाखा में उद्यमी के नाम से 2 वर्ष की मियादी जमा में रखनी होगी, जिसको कि ऋण की प्रथम किस्त की भुगतान तारीख से 2 वर्ष की अवधि के पश्चात उद्यमी ऋण के खाते में जमा करना होगा।

12. नकारात्मक सूची

ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अर्न्तगत जो उद्योग, ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार में नही आते हैं, उनको

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा घोषित नकारात्मक सूची के अनुसार ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्जिन मनी उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

13. एक लाख रू. तक की परियोजनायें पंचायत समिति स्तर से एवं एक लाख रू. से ऊपर की परियोजनायें जिला स्तर से बैंको को अभिशंषित की जाती हैं।

3.4 अन्य

बिक्री / प्रोत्साहन कार्यक्रम

1. रिबेट :–

खादी की बिक्री को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से गांधी जयन्ती व नेहरू जयन्ती के अवसर पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के साथ–साथ राज्य सरकार भी रिबेट स्वीकृत करती है। वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा सूती खादी पर 10 प्रतिशत, ऊनी खादी पर 10 प्रतिशत, ऊनी कम्बलों पर 10 प्रतिशत एवं पोली व रेशमी खादी पर 5 प्रतिशत रिबेट स्वीकृत की गई। वर्ष 2005–06 में रिबेट अवधि के दौरान 46.45 करोड़ रू. की फुटकर बिक्री हुई हैं (यह आंकड़े राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर की पुस्तक बिक्री / प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुऐ हैं)।

सर्वे के दौरान हमने पुछा कि क्या आपको कोई रिबेट प्राप्त हुई ?मात्र 1 व्यक्ति के द्वारा रिबेट मिलने का जवाब आया। नीचे दी गई तालिका–21 से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।

तालिका–21 : रिबेट प्राप्ति की संतुलितता की सूचना।

रिबेट प्राप्ति की सूची	संख्या	प्रतिशत
रिबेट प्राप्त हुई	1	0.47
रिबेट प्राप्त नहीं हुई	211	99.51
कुल	**212**	**100**

2. खादी बिक्री भंडार :–

राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सम्बद्ध खादी संस्थाओं द्वारा संचालित खादी भंडारों के द्वारा खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री की जाती हैं। आयोजना बजट वर्ष 2005–2006 तथा 2006–07 में खाादी ग्रामोद्योग भंडारों के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक कार्यक्रम स्वीकृत किया गया जिसके अध्याधीन स्वीकृत बजट अनुसार खादी बोर्ड द्वारा खादी भंडारों का नवीनीकरण कराया जा रहा है।

खादी भंडारों के बिक्री अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण :

राज्य में खादी संस्थाओं द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योग भंडारों के बिक्री अभिकर्ताओं / कार्यकर्ताओं को आधुनिक बिक्री प्रबन्धन में लघु प्रशिक्षण दिलवाने के क्रम में राज्य खादी बोर्ड द्वारा भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी. International Institute of Techonology) नई दिल्ली को अनुबन्धित किया गया है। वर्ष 2006–07 में आयोजना बजट अन्तर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अध्याधीन अभी तक 143 बिक्री अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है। जिसके व्यवहारिक सुखद परिणाम परिलक्षित हुये हैं।

प्रदर्शनियों का आयोजन :–

राज्य में विभिन्न जिलों में खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पदों की बिक्री हेतु खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों राज्य खादी ग्रामोद्योग तथा खादी संस्था संघ द्वारा परस्पर समन्वय कर आयोजित की जाती है। वर्ष 2005–06 में 1349.36 लाख रू. की बिक्री प्रदर्शनियों में हुई तथा वर्ष 2006–07 (जनवरी 07) तक आयोजित खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों में 1215.36 लाख रू. की बिक्री हुई। वर्ष 2006–07 में अभी तक 10 प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना शेष है।

खादी में गुणवत्ता सुधार :–

खादी गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सूती व उनी खादी में फैब्रिक के आधुनिक नये डिजाईन तैयार कराने गये और इनसे आधुनिक फैशन के परिधानों के प्रोटोटाईप भी तैयार कराये गये। जिनका भव्य प्रदर्शन दिनांक : 18:11:06 को खादी शो जयपुर में किया गया।

प्रचार व प्रसार :–

खादी ग्रोमोद्योग उत्पादों के प्रचार व प्रसार तथा उन्हें एक निर्धारित ब्राण्ड के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से राज्य खादी बोर्ड द्वारा एक "लोगो" का निमार्ण कराया गया है।

खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी योजनाऐं बना रही है। तथा उनको क्रियान्वयन करने के लिए बिक्री/प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रही है। यह एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है लेकिन प्रयास करने मात्र से काम नही चलेगा सरकार को प्रचार व प्रसार की अति आवश्यकता है।

(4) रूडा

रूडा की स्थापना नवम्बर 1995 में हुई थी। रूडा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समस्त लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है (बढ़ावा प्रशिक्षण, नई तकनीकी एवं डिजाइन के द्वारा) तथा उनके लिए योजनाऐं बनाना है। रूडा का पूरा नाम है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। रूडा को राजस्थान में 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 सालो में रूडा ने अपनी एक पहचान बनाई है। सर्वे के दौरान हमने पाया कि 97.2 प्रतिशत व्यक्ति रूडा से जुडे हुऐ है तथा 97.2 प्रतिशत व्यक्ति रूडा से पंजीकृत भी हैं। सर्वेक्षण 212 व्यक्तियों पर किया गया हैं। 206 व्यक्ति रूडा क्लस्टर से पंजीकृत हैं।

रूडा एक संस्थान है, इस संस्थान में सभी प्रकार के उद्यमी जुडे हुऐ हैं। सर्वेक्षण के दौरान हमने रूडा से जुडे व्यक्तियों के बारे में पूछा तथा यह भी पूछा की क्या आपका उद्योग क्लस्टर विकास से जुडा हुआ है ? 97.16 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा जुडा हुआ है। यह निम्न लिखित से जुडा हुआ हैं। वूलन शॉल क्लस्टर, दरिया हेण्डलूम वस्त्र, कोटाडोरिया क्लस्टर, टेक्सटाइल क्लस्टर दरिबा, हेण्डलूम कम्बल आदि से जुडा हुआ है। क्या क्लस्टर से जुडे लोग आपस मे एक दूसरे को सहायता करते है?यानीकि 206 व्यक्ति जुडे हुए है 206 में से 145 लोग आपस मे एक दूसरे की सहायता करते हैं। 206 मे से 70.38 प्रतिशत व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हैं। सहायता वे कच्चा माल (43.69), वित्त (5.34) व उत्पादन (21.36) के रूप मे मदद करते हैं। तालिका 22 एवं रेखा चित्र 2 की सहायता से हम यह समझ सकते हैं।

तालिका–22 : किस किस रूप में सहायता करते हैं

सहायता के प्रारूप	संख्या	प्रतिशत
कच्चा माल	90	43.69
उत्पादन	44	21.36
वित्तिय सहायता	11	5.34
किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली	61	29.61
कुल	**206**	**100**

रेखा चित्र संख्या 2 के द्वारा स्पष्टीकरण

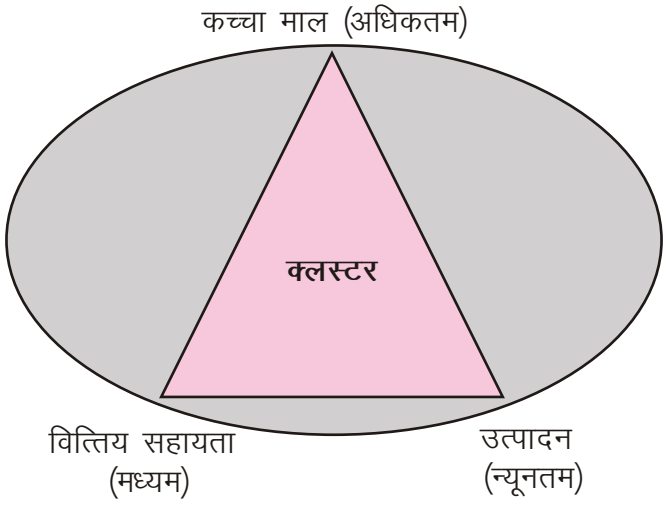

अतः स्पष्ट है कि सहायता मुख्य रूप से तीन प्रकार से की जाती है कच्चे माल के रूप मे सबसे ज्यादा की जाती है। सरकार के द्वारा चलाये जा रहे सभी कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा लाभ लोगो को क्लस्टर विकास के द्वारा किया जा रहा है।

सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को हमारे सर्वे के दौरान मुख्य रूप से तीन प्रकार से अध्ययन किया गया –

(4)(1) प्रशिक्षण

(4)(2) सहायता

(4)(3) योजनाऐं

4.1 प्रशिक्षण

रूडा मे प्रशिक्षण लेने वाले मात्र 28 व्यक्ति हैं। रूडा के बारे में जानकारी रखने वाले 206 व्यक्ति हैं। रूडा के अन्तर्गत हमने देखा कि 16.04 प्रतिशत व्यक्तियों ने प्रशिक्षण लिया है (देखें तालिका–23)।

तालिका–23 : क्या आपने रूडा से किसी तरह का प्रशिक्षण लिया ?

रूडा द्वारा प्रशिक्षण	संख्या	प्रतिशत
हां	28	16.04
नहीं	178	83.96
कुल	**206**	**100**

रूडा के अन्तर्गत पंजीकृत में से मात्र 16 प्रतिशत व्यक्तियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। वह व्यक्ति जिन्होंने प्रशिक्षण मे भाग लिया उनसे पूछा गया कि उन्हे इस प्रशिक्षण से क्या लाभ मिला ? प्रशिक्षण में 28 व्यक्तियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि उन्हे पेंटिंग प्रशिक्षण व नई डजाईन, नई तकनीकी, विपणन, व विज्ञापन के क्षेत्र मे लाभ मिला है (तालिका–24)।

तालिका–24 : प्रशिक्षण के द्वारा लाभ

प्रशिक्षण के द्वारा लाभ के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
पेंटिग प्रशिक्षण	1	3.58
नई डिजाईन, नई तकनीकी	20	71.42
डिजाईन, विपणन, व विज्ञापन	6	21.42
कोई जवाब नहीं	1	3.58
कुल	**28**	**100**

इस सारणी से स्पष्ट है कि जिन्होने प्रशिक्षण में भाग लिया उन्होंने प्रशिक्षण का लाभ उठाया तथा आने व जाने का किराया, मजदूरी व खाने तथा अनुदान मिलता है। लेकिन भाग लेने वाले व्यक्तियों कि संख्या मात्र 28 है तथा खर्चा भी मात्र 18 व्यक्तियों को ही मिला। सारणी संख्या 25 व 26 के द्वारा हम स्पष्टतः समझ सकते हैं।

तालिका–25 : प्रशिक्षण में किसी तरह का खर्चा दिया ?

प्रशिक्षण में किसी तरह का खर्चा दिया	संख्या	प्रतिशत
हां	18	64.28
नहीं	10	35.72
कुल	**28**	**100**

तालिका–26 : यदि हां तो कौन–कौन सा खर्चा दिया ?

खर्च के प्रारूप	संख्या	प्रतिशत
किराया	4	22.2
किराया, भोजन, मजदूरी व रहना जैसी सुविधाऐं दी गईं।	4	22.2
स्थाई फण्ड	6	33.3
किराया, स्थाई फण्ड दोनों ही	1	5.5
किराया व भत्ता दोनों ही	3	16.7
कुल	**18**	**100**

रूडा के द्वारा चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रमों में से आपने किन–किन कार्यक्रम में भाग लिया ? रूडा के द्वारा 18 प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। चलाये जा रहे कार्यक्रम के नाम इस प्रकार हैं, कार्यशाला, मेला, प्रदर्शनी, सरस, एक्सपो, क्राफ्ट बाजार, ग्रामीण हाट, शहरी हाट, सम्मेलन, ग्रीष्म उत्सव, जिला उद्योग मेला, क्राफ्ट इंड, स्वदेशी मेला, राष्ट्रीय हेण्डीक्राफ्ट एक्सपो, दिल्ली हाट, आदि। इन कार्यक्रमों में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया इसका विवरण तालिका 27 के द्वारा दिया गया है।

तालिका–27 : आपने रूडा के किन–किन कार्यक्रमों में भाग लिया ?

क्र.स.	कार्यक्रम	कार्यक्रम मे भाग लिया (संख्या)	प्रतिशत	कार्यक्रम मे भाग नहीं लिया (संख्या)	प्रतिशत
1	कार्यशाला	5	2.4	207	97.64
2	मेला	5	2.4	207	97.64
3	प्रदर्शनी	7	3.3	205	96.70
4	सरस	3	1.4	209	98.58
5	एक्सपो	7	3.3	205	96.7
6	क्राप्ट बाजार	1	0.5	211	99.5
7	ग्रामीण हाट	0	0	212	100
8	शहरी हाट	1	0.5	211	95.5
9	सम्मेलन	0	0	212	100
10	ग्रीष्म उत्सव	0	0	212	100
11	व्यापार मेला	1	0.5	211	99.5
12	ग्रामश्री	0	0	212	100
13	जिला उद्योग मेला	2	0.9	210	99.1
14	क्राफ्ट इंड	0	0	212	100
15	स्वदेशी मेला	0	0	212	100
16	राष्ट्रीय हेण्डीक्राफ्ट एक्सपो	3	1.4	209	98.6
17	दिल्ली हाट	14	6.6	198	93.4
18	अन्य	3	1.4	209	98.6

सर्वेक्षण में एक तथ्य यह उभर कर आया कि रूडा के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण हाट, सम्मेलन, ग्रीष्म उत्सव, क्राफ्ट इंड व स्वदेशी मेलों में किसी भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया है। 6.6 प्रतिशत व्यक्तियों ने दिल्ली हाट में भाग लिया। दिल्ली हाट में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। हमने देखा कि कुछ में तो व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और कुछ में नाम मात्र के व्यक्तियों ने भाग लिया। सर्वेक्षण के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपने भाग क्यो नही लिया ? उन्होने बताया कि जानकारी नहीं मिलती है तथा कार्यक्रम के पत्र समय पर नहीं आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार जिन

व्यक्तियों के लिए यह कार्यक्रम चला रही है उन्हें तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा है! सरकार को कार्यक्रम के भरपूर प्रचार–प्रसार के साथ यह देखना होगा कि किस क्षेत्र में व्यक्तियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है तत्पश्चात उन्हें सूचिबद्ध करके सरकार को इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिऐ।

रूडा के द्वारा एक और कार्यक्रम चलाया गया हैं। वह भी प्रशिक्षण के क्षेत्र में ही है।

तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण

सर्वेक्षण के द्वारा पूछा गया कि क्या आप तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानते है ?मात्र 13.6 प्रतिशत व्यक्तियों ने बताया कि वे इस प्रशिक्षण के बारे में जानते हैं। व्यक्तियों का यह प्रतिशत प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के समान है। अर्थात् जानने वाले व्यक्ति व प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति समान हैं इस 100 प्रतिशत से स्पष्ट है कि तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम का लाभ जानने वाले सभी व्यक्तियों ने उठाया। यह तालिका पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर है (तालिका–28 के द्वारा)।

तालिका–28 : तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम के तहत कोई प्रशिक्षण मिला ?

तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम के तहत कोई प्रशिक्षण मिला ?	संख्या	प्रतिशत
हां	28	13.6
नहीं	178	86.4
कुल	**206**	**100**

अतः स्पष्ट है कि जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है वही व्यक्ति तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम के बारे में जानते हैं तथा उन्होने कार्यक्रम का लाभ भी उठाया। जिन्होने भाग नहीं लिया उनसे इसकी वजह पूछी गई तब उन्होनें बताया कि 2–3 प्रकार कि डिजाईन चलन में हैं जिन्हें वे बनाना भी जानते हैं बाकी सभी ने कहा कि जानकारी नहीं मिलती है। जिन्होने भाग लिया उन्होंने बताया कि डिजाईन व नई तकनीकी के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि जिनको जानकारी होती है वह प्रशिक्षण का लाभ उठाते हैं। सरकार को व्यक्तियों तक जानकारी पहुंचाने के लिए इस दिशा में अपने कदम उठाने चाहिऐं तथा उनकी आवश्यकताओं को सूचिबद्ध करके उनकी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिये।

4.2 सहायता

रूडा की स्थापना का मुख्य उद्येश्य गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को उपर उठाना है। इस के लिऐ सरकार ने जुलाई 2000 मे गरीबों हेतु वित्तीय प्रोजेक्ट की स्थापना की है। जिस में मुख्य रूप से राजस्थान के सात जिलों को लिया गया है जो इस प्रकार हैं, बराना, चूरू, दोसा, धोलपुर, झालावाड़, राजसमंद व टोंक। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्येश्य आर्थिक, उत्पादन व आय के स्तर को उपर उठाना है। इसके लिए सरकार ने 7 जिलों मे से 7039 गावो में से 3,50,000 बी. पी. एल. परिवार को चुना है। सरकार प्रशिक्षण के द्वारा भी सहायता प्रदान कर रही है। 7 प्रतिशत व्यक्तियों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान सरकार प्रशिक्षण के लिऐ आने वाले व्यक्तियों को किराया देती है। इस प्रकार से सरकार प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्तियों को सहायता देती हैं। सरकार के द्वारा दो प्रकार से और सहायता दी गई है

4.2.1 विपणन

4.2.2 तकनीकी अपग्रेडेशन।

4.2.1 विपणन

सर्वेक्षण में उभर कर आया की सरकार के द्वारा विपणन–मेलों में 15 व्यक्तियों को लाभ मिला है। लाभ उनको विज्ञापन, आर्डर, डिजाईन व तकनीकी के क्षेत्र में लाभ मिला (विस्तृत तौर पर समझने के लिये तालिका–29 में स्पष्ट है)।

तालिका–29 : आपको रूडा के द्वारा विपणन के मेलों से क्या–क्या सहायता मिली ?

विपणन–मेलों में सहायता के प्रारूप	संख्या	प्रतिशत
विज्ञापन	2	13.34
आर्डर	2	13.34
विपणन	1	6.63
डिजाईन, विज्ञापन, व तकनीकी	10	66.66
कुल	**15**	**100**

4.2.2 विपणन तकनीकी अपग्रेडेशन

13 प्रतिशत व्यक्तियों ने बताया ने कि उन्हें तकनीकी अपग्रेडेशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्राप्त हुई।

तालिका–30 : तकनीकी अपग्रेडेशन के द्वारा सहायता के रूप।

तकनीकी अपग्रेडेशन के द्वारा सहायता के रूप	सख्या	प्रतिशत
प्रशिक्षण	1	0.5
प्रशिक्षण व मशीनरी	18	8.7
प्रशिक्षत व्यक्तियो से माल अच्छा तैयार कर सकते है	1	0.5
नहीं	186	90.3
कुल	**206**	**100**

प्रोत्साहन व मानदेय के रूप में सहायता

सरकार के द्वारा खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिऐ प्रोत्साहन पुरस्कार व मानदेय के रूप में अनुदान के द्वारा सुविधा दी जा रही है, क्योंकि खादी से जुड़े उद्यमीयो को इस क्षेत्र में बढ़ावा देकर खादी के उद्योगकर्मियों की आय को बढ़ाया जा सके, लेकिन सर्वेक्षण के दौरान यह उभर कर आया कि मात्र 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार व मानदेय के रूप में अनुदान मिला हैं। अतः हम देख रहे है कि सरकार कोशिश तो कर रही है लेकिन वह अपनी योजनाओं व प्रयास में सफल नहीं हो पा रही हैं। सरकार को अपनी असफलता के कारणों का पता लगा कर सफलता कैसे प्राप्त होगी, इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। स्पष्टतः समझने के लिऐ हम तालिका संख्या–31 को देखते हैं।

तालिका–31 : क्या आपको सरकार से प्रोत्साहन एवं मानदेय के रूप में अनुदान मिला।

सरकार से प्रोत्साहन एवं मानदेय के रूप में अनुदान मिला ?	संख्या	प्रतिशत
हां	4	1.9
नहीं	202	98.1
कुल	**206**	**100**

यह प्रतिशत विकास की दशा में बहुत ही कम है। नवम्बर 2007 में रूडा को 12 साल पूरे हो जाऐंगे। 12 साल मे व्यक्तियों की लाभान्विितता का प्रतिशत–स्तर इतना कम है तथा जिनको जानकारी है वही लोग सहायता प्राप्त कर रहे हैं इससे यह बात तो स्पष्ट है कि जानकारी के अभाव में विकास असम्भव है।

4.3 योजनाऐं

योजनाओं का अध्ययन हम रूडा के द्वारा पंजीकृत (206) व्यक्तियों के आधार पर करेंगे। सरकार रूडा के द्वारा गरीब लोगों के विकास के लिऐ निम्न योजनाऐं बना रही है। सर्वे में निम्न योजनाओं के बारें मे पूछा गया है।

- बुनकर बीमा योजना
  1. जनश्री बीमा योजना
  2. समूह बीमा योजना
- थ्रिप्ट फण्ड योजना
- स्वयं सहायता समूह योजना
- यार्न बैंक
- पोल्ट्री स्थापना
- मुख्यमंत्री वृद्वावस्था पेंशन योजना
- सामाजिक सुरक्षा योजना
- बी.पी.एल. कार्ड
- शहरी हाट
- ग्रामीण हाट

बुनकर बीमा योजना

बुनकर बीमा योजना के अन्तर्गत वे बुनकर आते है जो अपनी आय का 50 प्रतिशत भाग करघा बुनाई से प्राप्त करते हैं तथा उनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच हो। बुनकर समिति सदस्य द्वारा एक बार में बीमे का लाभ केवल 25 सदस्यों को ही दिया जायेगा इस बीमे के दो भाग हैं –

(1) जनश्री बीमा

(2) समूह बीमा योजना

जनश्री बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सामूहिक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य उन ग्रामीण एवं शहरी निर्धन लोगों को सस्ती एवं रियायती दरों पर बीमा सुरक्षा प्रदान करना है, जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

दोनों योजनाओं का बीमा एक साथ कराने पर प्रीमियम राशि मात्र 130 रू. है जिसकी सुविधाऐं सामान्य मृत्यु पर 50,000 रू. दुर्घटना मृत्यु पर 80,000 रू, स्थायी अपंगता पर 50,000 रू. एक अंग भंग पर 25,000 रू. दिया जाता है। सर्वे के दौरान हमने पूछा कि क्या आप बुनकर बीमा योजना के बारे में जानते हैं ? 11.2 प्रतिशत व्यक्तियों ने बताया कि हम जानते हैं, वहीं 88.8 प्रतिशत ने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सारणी संख्या–32 के द्वारा अध्ययन।

तालिका–32 : क्या आप बुनकर बीमा योजना के बारें में जानते है ?

क्या आप बुनकर बीमा योजना के बारें में जानते है ?	संख्या	प्रतिशत
हां	23	11.2
नहीं	183	88.8
कुल	**206**	**100**

जैसा कि पूर्व में वर्णित है बुनकर बीमा को दो भागो में बटा गया है– जनश्री व समूह बीमा। सर्वेक्षण के दौरान 10.84 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि वह बुनकर बिमा योजना के बार में बारे में जानते हैं। सारणी–31 के अनुसार।

बुनकर बीमा योजना

तालिका–33 : बुनकर बीमा योजना के बारे में जानकारी

बुनकर बीमा योजना के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति	संख्या	प्रतिशत
बुनकर बीमा योजना	23	10.84
• जनश्री बीमा के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति	11	5.3
• समूह बीमा के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति	4	1.9
• जनश्री बीमा, समूह बीमा के बारे में समस्त जानकारी का अभाव	8	3.8
• दोनो ही प्रकार से जानकारी रखने वाले	0	0
कोई जानकारी नही है	183	88.83
कुल	**206**	**100**

212 व्यक्तियों के सर्वे के आधार पर 89.16 प्रतिशत के पास जानकारी का अभाव है। व्यक्तियों के पास जब जानकारी ही नहीं होगी तो वह बीमा कैसे करवायेंगे। जानकारी के अभाव में योजनाओ का क्या महत्व है 23 व्यक्तियों के पास बीमा की जानकारी तो है लेकिन बीमा नहीं कराया गया। 3.8 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास सम्पूर्ण जानकारी का अभाव है। सरकार योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी उद्योग विशेष के आधार पर देकर उद्योग कर्मीयो के आय के स्त्रोत को बढ़ा सकती हैं। सरकार को अपना ध्यान इस ओर केन्द्रित करना चाहिऐ। इसी के सन्दर्भ में हमारे द्वारा सरकार से वास्तविक तौर पर जो खर्च किया गया है उसका एक विवरण सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया लेकिन सरकार ने जनश्री व बुनकर बीमा के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा। जब प्रावधान ही नहीं होगा तो सरकार खर्च ही क्या करेगी! सारणी सख्या 33–ए व 33–बी के द्वारा हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

तालिका–33 ए : जनश्री बीमा योजना

वर्ष	बजट प्रावधान (लाखों में)	वास्तविक खर्च (लाखों में)	लाभान्वितों की संख्या
2001–2002	3.00	1.50	00
2002–2003	00.00	00.00	00
2003–2004	00.00	00.00	00
2004–2005	00.00	00.00	2177
2005–2006	00.00	00.00	4929
2006–2007	00.00	00.00	00
2007–2008	00.00	00.00	00

तालिका–33 बी : बुनकर बीमा योजना

वर्ष	बजट प्रावधान (लाखों में)	वास्तविक खर्च (लाखों में)	लाभान्वितों की संख्या
2001–2002	00.00	00.00	00
2002–2003	00.00	00.00	00
2003–2004	00.00	00.00	00
2004–2005	00.00	00.00	00
2005–2006	00.00	00.00	4929
2006–2007	00.00	00.00	00
2007–2008	00.00	00.00	00

थ्रिफ्ट फण्ड योजना

पात्रता

इसके लिए बुनकर की परिभाषा में वे बनुकर आऐंगे जिनकी कम से कम 50 प्रतिशत आय बुनाई से होती हो, जो बुनकर समिति का नियमित सदस्य हो। यह कहना कठिन है कि बुनकर समितियों के नियमित सदस्य कौन हैं अथवा नहीं हैं। इसके लिए उन बनुकरों को नियमित सदस्य माना जाएगा जिन्होंनें समितियों से कच्चा माल लिया हो। बुनकरों की कार्य क्षमता, निपुणता और गत वर्षों में किए गए कार्यों से समिति बुनकरों के 180 दिन के उत्पादन का अनुमान लगायेगी। सहकारिता से बाहर के बुनकरों को भी शामिल किया जा सकता है बशर्ते वे संतोषजनक ग्रुप में अपने आप संगठित हो जाऐं और इस ग्रुप को सम्बंधित राज्य सरकार व विकास आयुक्त हाथकरघा का अनुमोदन प्राप्त हो। राज्य हाथकरघा विकास निगम से जुड़े बुनकर भी इस योजना में भाग ले सकेंगे ?

निधि की संरचना

यह थ्रिफ्ट फण्ड निम्नलिखित योगदान से बनाया जाएगा।

1. सदस्यों का योगदान (अर्जित भत्तों से प्रत्येक रूपये के 8 पैसे के बराबर)।
2. केन्द्र सरकार का योगदान : प्रत्येक रूपये के 4 पैसे के बराबर।
3. राज्य सरकार का योगदान : प्रत्येक रूपये से 4 पैसे के बराबर। इस फंड में उपरोक्त योगदान से समय – समय पर ब्याज के रूप में हुई आय को भी जोड़ दिया जाएगा।

सर्वे मे 12 व्यक्तियों ने कहा की वह थ्रिफ्ट फण्ड योजना के बारे में जानते हैं। अगर आप जानते है तो आपको वेतन का कितने प्रतिशत अंश देना पड़ता है ? इसके बारे में 4 व्यक्तियों ने कहा कि 8–25 प्रतिशत देते है (देखे तालिका 32)। 206 मे से 12 व्यक्ति जानते है तथा लाभ मात्र 206 मे से 4 व्यक्तियों को मिला। जब उनसे पूछा गया कि आपको जानकारी हे तो आप लाभ क्यों नहीं ले रहे हे जवाब आया सम्पूर्ण जानकारी नहीं है (देखे तालिका संख्या 34 के अनुसार)।

तालिका–34 : क्या आप थ्रिफ्ट फण्ड योजना के बारे में जानते हैं ?

थ्रिफ्ट फण्ड योजना के बारे में जानकारी रखने वाले	संख्या	प्रतिशत
थ्रिफ्ट फण्ड योजना के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति	4	1.9
थ्रिफ्ट फण्ड योजना के बारे में जानकारी नहीं रखने वाले व्यक्ति	202	98.1
कुल	**206**	**100**

सरकार से हमारे द्वारा श्रिफ्ट फण्ड के वास्तविक आकड़े मागे गऐ हैं। सरकार से प्राप्त आकड़ो की तालिका संख्या–32 ए को हम देख सकते है।

तालिका–34 ए : बीमा योजना

वर्ष	बजट प्रावधान (लाखों में)	वास्तविक खर्च (लाखों में)	लाभान्वितों की संख्या
2001–2002	00.00	3.00	00
2002–2003	2.00	2.00	354
2003–2004	4.00	1.50	354
2004–2005	2.00	1.5	354
2005–2006	2.00	1.5	350
2006–2007	1.50	1.50	350
2007–2008	4.00	00.00	00

स्वयं सहायता समूह

सर्वे के दौरान जब पूछा गया की क्या आप स्वयं सहायता समूह के बारे में जानते हैं तो 30.58 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि हम जानते हैं, लेकिन 30.58 प्रतिशत में से 55.5 प्रतिशत ही व्यक्ति इससे जुड़े हुऐ हैं। 55.5 प्रतिशत में से मात्र 57.14 प्रतिशत व्यक्ति को ही लाभ (ऋण– 48.6 व प्रशिक्षण, ऋण व मशीन – 8.6 प्रतिशत) मिला देखें तालिका 35, 36 व 37 के द्वारा विस्तृत रूप से समझते हुऐ।

तालिका–35 : आप स्वयं सहायता समूह के बारे में जानते हैं ?

स्वयं सहायता समूह के बारे में जानते हैं ?	संख्या	प्रतिशत
हां	63	30.58
नहीं	143	69.41
कुल	**206**	**100**

तालिका–36 : यदि हां तो क्या आप इससे जुडे हुऐ हैं ?

स्वयं सहायता समूह से जुडे हुऐ हैं?	संख्या	प्रतिशत
हां	35	55.5
नहीं	28	44.5
कुल	**63**	**100**

तालिका–37 : यदि हां तो इसके अन्तर्गत आपको क्या–क्या सुविधाऐ मिली ?

सुविधा के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
ऋण, प्रशिक्षण एवं मशीन	3	8.57
ऋण	17	48.57
नहीं	15	42.85
कुल	**35**	**100**

इस तरह से स्पष्ट है कि जानने वाले, जुड़े हुए व्यक्ति व लाभ उठाने वाले व्यक्तियों में कितना अन्तर है! अतः यह स्पष्ट हो चुका है कि कितने कम व्यक्ति योजनाओ का लाभ उठा रहे है।

यार्न बैंक

राज्य के बुनकरों को नियमित सूत उपलब्ध कराने की दृष्टि से यार्न बैंक स्थापित करने की योजना बनाई गई हैं। इसमें राज्य के हाथकरघा क्षेत्र की सहकारी समितियों, शीर्ष संघ तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से बुनकरों को उचित मूल्य पर धागा, राष्ट्रीय हाथकरघा विकास निगम, लखनऊ के परचेज पुल व्यवस्था से उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य आयोजना मद से वर्ष 2004–05 में बजट मद 2851–103–06 सराय/अनुदान से 65.00 लाख रूपये जारी किये गये थे। उक्त राशि द्वारा गठित रिवाल्विंग फण्ड के रूप में राजस्थान राज्य बुनकर सहाकरी संघ, जयपुर, धनेरू सूती–ऊनी वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति, बीकानेर, सम्बल संस्थान, कोटा, आदर्श हा.क.व.उ. सहकारी समिति, झालावाड़ के माध्यम से राज्य के बुनकरों/सहकारी समितियों को यार्न उपलब्ध करवाया जा रहा है।

सर्वे के दौरान हमने यार्न बैंक के बारे में जानने की कोशिश की लेकिन यार्न बैक के बारे में एक भी व्यक्ति नहीं जानता था। इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि यार्न बैंक से कोई सहायता नहीं ली गई । यार्न बैंक के बारें मे किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है। देखे सारणी–38।

तालिका–38 : क्या आपने कभी यार्न बैंक से सहायता ली है ?

यार्न बैंक से सहायता ली	संख्या	प्रतिशत
हां	0	0
नहीं	212	100
कुल	**212**	**100**

पोल्ट्री स्थापना

राजस्थान पशुधन प्रधान राज्य हैं। जहां कृषि के साथ–साथ पशुपालन व्यवसाय अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। आजादी के बाद पशु पालन के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। कुक्कुट से प्राप्त उत्पाद जैसे अण्डा मनुष्य शरीर को सुपाच्य प्रोटीन का एक प्रमुख स्त्रोत है। इसी प्रकार मुर्गी से मांस व बीट प्राप्त होती है। बीट का प्रयोग खाद के लिए किया जाता है। करीब 40–50 मुर्गियों से प्राप्त बीट एक एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त रहती है।

मुर्गी पालन द्वारा एवं मध्यम वर्ग के किसानों को पूंजी शीघ्र व नियमित रूप से प्राप्त हो सकती हैं एवं व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सही वैज्ञानिक जानकारी अत्यन्त आवश्यक है। अतः उच्च गुणवत्ता वाली मुर्गी को यदि उचित स्थान, रख–रखाव संतुलित आहार व स्वच्छ पानी सही समय पर उपचार व टीकाकरण करवा दिया जावे तो अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

सर्वे के दौरान हमने पूछा कि क्या आपने पोल्ट्री स्थापना के लिए सरकार से कोई सहायता ली हैं ? अगर हां तो कितनी सहायता ली ? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पोल्ट्री स्थापना के लिए सरकार से कोई सहायता नहीं ली गई।

तालिका–39 : क्या आपने पोल्ट्री स्थापना हेतु सरकार से सहायता ली है ?

आपने पोल्ट्री स्थापना हेतु सरकार से सहायता ली ?	संख्या	प्रतिशत
हां	0	0
नहीं	212	100
कुल	**212**	**100**

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से चयनित हस्तशिल्पियों, जो राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता हैं, तथा 60 वर्ष से उपर हैं को 15 वर्ष के लिए प्रतिमाह 500 रू दिये जायेंगे। सर्वे के दौरान हमने पूछा क्या आप मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जानते हैं ? 1 व्यक्ति ने कहा कि वह इस योजना के बारे में जानते हैं मतलब मात्र 0.47 प्रतिशत व्यक्ति ही इस योजना के बारे में जानते हैं (देखें तालिका–40)।

तालिका–40 : क्या आप मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जानते हैं ?

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जानते हैं ?	संख्या	प्रतिशत
हां	1	0.47
नहीं	205	99.63
कुल	**206**	**100**

वृद्धावस्था पेंशन कितनी मिलती है इस के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। 99.05 प्रतिशत व्यक्तियों के अनुसार यह कार्यक्रम के प्रचार के अभाव होने का असर है। इससे यह बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जानकारी का अभाव है।

सामाजिक सुरक्षा योजना

सरकार के द्वारा मुख्य रूप से हस्तशिल्प व दस्तकारो के लिऐ समाजिक सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के हस्तशिल्प एवं दस्तकार जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष हो वही व्यक्ति प्रिमियम जमा करा सकते हैं। लाभ सामान्य मृत्यु 20,000 रू, दुर्घटना मृत्यु पर 50,000 रू, स्थायी अपंगता 50,000 रू, एक अंग खराबी पर 25,000 रू, दोनो अंग खराब होने पर 50,000 रू दिये जायेंगे, बी.पी.एल. में चयनित हस्तशिल्पियों के कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले बच्चों को 300 रू प्रति त्रैमासिक के हिसाब से दिये जायेंगे। इस योजना के द्वारा इन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। हमने यह जानने कि लिए कि कितने व्यक्ति इस योजना के बारे में जानते हैं तो मात्र 0.94 प्रतिशत व्यक्ति ही इस योजना के बारे में जानते हैं, तथा किसी ने भी बीमा नहीं कराया है। तब हमने सर्वे के दौरान यह पूछा बीमा क्यों नहीं कराया गया ?इस पर 63.5 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि उन्हें इस बारे में सम्मपूर्ण जानकारी नहीं है। 0.47 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि आवश्यकता ही नहीं है। तथा 1.41 प्रतिशत ने कही की प्रिमीयम जमा कराने की क्षमता नहीं है। 34.46 प्रतिशत ने कोई जवाब नहीं दिया। तालिका – 41 व 42 के द्वारा विस्तृत अध्ययन से।

तालिका–41 : क्या आप सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में जानते हैं ?

आप सामाजिक सुरक्षा योजना के बारें में जानते है ?	संख्या	प्रतिशत
हां	2	0.94
नहीं	210	99.06
कुल	**211**	**100**

तालिका–42 : आपने बीमा क्यो नहीं कराया ?

बीमा न कराने के क्या कारण हैं ?	संख्या	प्रतिशत
आवश्यकता ही नहीं	1	0.47
सम्पूर्ण जानकारी का अभाव	131	63.5
प्रिमीयम जमा कराने कही क्षमता नहीं	3	1.41
कोई जवाब नहीं	71	34.46
कुल	**206**	**100**

बी.पी.एल. कार्ड

सर्वे के दौरान हमने पूछा कि क्या आपके पास बी.पी.एल. कार्ड हैं ? 20.75 प्रतिशत ने कहा की हमारे पास है, तब हमने शिक्षा सहयोग योजना की जानकारी ली और ज्ञात हुआ कि मात्र 4.54 प्रतिशत व्यक्ति ही इसके बारे में जानते हैं। जनश्री बीमा के तहत 6.81 प्रतिशत ने ही बीमा कराया है। 9.09 प्रतिशत व्यक्तियों के बच्चों को ही इसमें छात्रवृत्ति मिलती है। जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे उनसे यह जानकारी मिली की उनको बी. पी. एल. कार्ड योजना की बहुत कम जानकारी है। इसके लिऐ हमने शिक्षा सहयोग योजना, जनश्री व बच्चों की छात्रवृत्ति पर सर्वे किया है निम्न तालिका के द्वारा हम और भी अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं (43, 44, 45 व 46 के अनुसार)।

तालिका–43 : क्या आपके पास बी.पी.एल. कार्ड है ?

आपके पास बी पी एल का कार्ड है ?	संख्या	प्रतिशत
हां	44	20.75
नहीं	168	79.24
कुल	**212**	**100**

तालिका–44 : यदि हां तो आपको शिक्षा सहयोग योजना की जानकारी हैं ?

आपको शिक्षा सहयोग योजना की जानकारी हैं ?	संख्या	प्रतिशत
हां	2	4.54
नहीं	42	95.46
कुल	**44**	**100**

तालिका–45 : क्या आपने जनश्री योजना के तहत बीमा कराया ?

आपने जनश्री योजना के तहत बीमा कराया ?	संख्या	प्रतिशत
हां	3	6.81
नहीं	41	93.19
कुल	**44**	**100**

तालिका–46 : क्या आपके बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती है ?

आपके बच्चें को छात्रवृत्ति मिलती हे ?	संख्या	प्रतिशत
हां	4	9.09
नहीं	40	90.91
कुल	**44**	**100**

शहरी हाट एवं ग्रामीण हाट योजनाऐं

शहरी हाट एवं ग्रामीण हाट मे मुख्य रूप से दस्तकारों/ हस्तशिल्पियों /बुनकरों द्वारा उत्पादित औद्योगिक उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाता है। अर्थात इनको मार्केट उपलब्ध कराया जाता है। सर्वे के दौरान 8.02 प्रतिशत व्यक्तियो ने बताया कि उन्होने शहरी हाट का लाभ उठाया है, लेकिन वहीं 91.98 प्रतिशत ने कहा नहीं उठाया है। शहरी हाट से आपको क्या लाभ मिला ? 11.8 प्रतिशत ने कहा आर्डर, 35.29 प्रतिशत ने कहा कि माल सही मूल्य पर मिल जाता है, 41.2 प्रतिशत ने कहा कि माल खरीदने की समस्या अब नहीं रही, 11.8 प्रतिशत ने कोई जवाब नहीं दिया। विस्तृत अध्ययन के लिऐ देखें तालिका–47 व 48।

तालिका–47 : क्या आपने शहरी हाट का लाभ लिया ?

आपने शहरी हाट का लाभ लिया ?	संख्या	प्रतिशत
हां	17	8.02
नहीं	189	91.98
कुल	**206**	**100**

तालिका–48 : यदि हां तो शहरी हाट से क्या लाभ मिला ?

शहरी हाट के लाभ	संख्या	प्रतिशत
आर्डर	2	11.8
माल का सही मूल्य	6	35.2
माल खरीदने कि समस्या अब नहीं	7	41.2
कोई जवाब नहीं दिया	2	11.8
कुल	**17**	**100**

ग्रामीण हाट के बारे में भी यही सब बातें जानने के लिऐ सर्वे मे पूछा गया कि क्या आपने ग्रामीण हाट का लाभ उठाया ? 29.1 प्रतिशत ने कहा हमने उठाया है, लेकिन वहीं 70.9 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि उन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया है, 29.1 प्रतिशत व्यक्ति जिन्होने लाभ उठाया उनसे पूछा गया कि आपको क्या लाभ मिला ? 61.7 प्रतिशत ने कहा कि कोई लाभ नहीं हुआ, 16.6 प्रतिशत ने कहा की बिक्री अच्छी हो जाती है, 21.7 प्रतिशत ने कहा कि कच्चा माल मिल जाता है। तालिका–49 व 50 के द्वारा विस्तृत रूप से समझते हैं।

तालिका–49 : क्या आप ग्रामीण हाट के बारे में जानते हो ?

आप ग्रामीण हाट के बारे में जानते हो	संख्या	प्रतिशत
हां	60	29.1
नहीं	146	70.9
कुल	**206**	**100**

तालिका–50 : यदि हां तो ग्रामीण हाट से क्या लाभ मिला ?

ग्रामीण हाट से कया लाभ मिला	संख्या	प्रतिशत
बिक्री अच्छी हो जाती है	10	16.6
कच्चा माल मिल जाता है	13	21.6
कोई लाभ नहीं हुआ है	37	61.8
कुल	**60**	**100**

अतः सारांश में कहा जा सकता है कि सरकार योजनाऐं तो बहुत बना रही है लेकिन योजना बनाने का क्या लाभ है ? सर्वे के दौरान यह बात मुख्य रूप से सामने आई कि जानकारी के अभाव में योजना से कोई लाभ नहीं हो रहा है। लोगो के पास जब तक यह जानकारी नहीं है तो लाभ कैसे उठायेंगे सर्वप्रथम योजनाओं के प्रचार व प्रसार के साथ ही साथ उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ सरकार का ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिऐ, लेकिन वह व्यक्ति जो योजनाओं के बारे में जानते है तो फिर वे योजनाओं का लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं यह सरकार के सामने एक प्रश्न है!

BARC Team : Subrata Dutta
Nagendra Singh Khangarot
Nishtha Sharma
Deepti Kherada
Radha Mohan Jogi
Sita Ram Meena

Adviser : Dr. Ginny Shrivastava

Budget Links Policy to People and People to Policy

Budget Analysis Rajasthan Centre (BARC)
P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur - 302 005
Tel. / Fax : (0141) 238-5254
E-mail : info@barcjaipur.org
Website : www.barcjaipur.org